

उपर्युक्त आदि कारी

मुकाम खैरवाड़ा

लालचन्द्र बगई

बनाम खैरवाड़ा जिला

खस 136 प्राकृतिक L.R. Act


14/ सन 2020

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------

03-3-2020


पत्रावली दर्ज रजिस्ट्र होकर पेश हुई
प्राणी लालचन्द्र बगई द्वारा प्राचीना पत्र
खस 136 शं.सु. अधिनियम 1956 के तहत
पेश किया गया जिसकी सूचना पेशी दिनांक

04-3-2020 को पत्रावली पेश की



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

4-3-2020

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्राणी श्री
लालचन्द्र पुत्र काला जी बगई उपरिफल हुई।
पत्रावली में प्राणी की एक तरफ वही सूची गई
वही पर मगक किया गया। पत्रावली में
काला इस्लामाबाद का केवलिंग किया गया।
प्राचीना पत्र में काला जमावली संवत्: 2074-77
गम पहाड़ परवाह से पहाड़ तहसील खैरवाड़ा
के खौता से नप 227 कुलाता खाला सं: 180
पर दर्ज लाला पुत्र काला जाति बगई हिन्दू
श्री सांठेह खाला सं: 1400/1400, 1403/1400
हुकम संख्या 0-13 है जिसमें प्राणी का नाम है


सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

लाला पुत्र काला जाति बलाई के स्थान पर
 लालचन्द पुत्र काला जाति बलाई किमा
 जाते हेतु प्राप्ति द्वारा भासा निवचिन आयोग
 पहचान पत्र की द्वाारा प्राप्ति ~~का~~ आधार काडी
 कि ~~प्राप्ति~~ प्राप्ति, एवं स्वयं के द्वारा सैकण्डरी
 स्कूल परीक्षा 1982 का प्रमाण पत्र साक्ष्य संलग्न
 किमा गामा जिन काली में लालचन्द पुत्र
 काला जाति बलाई दर्ज है। उक्त पहचान पत्र
 के आधार पर प्राप्ति का नाम लाला पुत्र
 काला बलाई के स्थान पर लालचन्द
 पुत्र काला जाति बलाई निवासी पहाड किमा
 जान हेतु तहसीलदार खेरवाडा को आदेशित कि
 जाता है। पत्रावली के काल सुमा 10 दर्ज नमब
 कम ही आदेश पृथक से जारी है।


 4.3.2020

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)